e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 03 / भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे–01 / 2022 1943

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,
किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी,
सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई,
मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक :– 1/8/2022

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की सुनवाई प्रक्रिया में प्रपत्र–8 एवं प्रपत्र–14 में प्राप्त दावा / आपत्ति के विरूद्ध पारित आदेश की गुणवत्ता एवं जिला स्तर से अनुश्रवण नहीं किए जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत प्रथम चरण में 4989 राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा रैयती भूमि से संबंधित खानापुरी पर्चा में की गई प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रपत्र–8 में दायर दावा / आपत्ति के विरूद्ध सुनवाई का कार्य किया जा रहा है, जबकि विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पूर्व सरकारी भूमि से संबंधित वादों की सुनवाई एवं प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पश्चात् सुनवाई का कार्य किया जा रहा है। उक्त प्रक्रमों में संधारित किए गए रैयतों से प्राप्त दावा / आपत्ति के निष्पादन पश्चात् पारित आदेशों से संबंधित अभिलेखों को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर संधारित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित अभिलेखो का अवलोकन अधिकारिक एवं रैयतों के स्तर से किया जा सकता है। अतः इनकी गुणवत्ता की जाँच के क्रम में निदेशालय स्तर पर विभिन्न ग्रामों से संबंधित वाद अभिलेखो का अवलोकन भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। अवलोकन उपरांत कानूनगो / स0ब0प0 द्वारा पारित वाद अभिलेखो में निम्नांकित अशुद्धियाँ पाई गई :–

(i) अभिलेखो में वाद के प्रकार एवं संबंधित दावा / आपत्ति को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है।
(ii) आदेशफलक में आदेश की तिथि को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है।
(iii) आदेशफलक के प्रथम स्तंभ के आदेश की तिथि एवं पीठासीन पदाधिकारी (विशेष सर्वेक्षण कानूनगो / विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी) के हस्ताक्षर की तिथि में भिन्नता है।
(iv) आदेशफलक के तृतीय स्तंभ में भी अनुपालन कर्त्ता का हस्ताक्षर नहीं है।
(v) आदेशफलक में आपत्तिकर्त्ता / दावाकर्त्ता की आपत्ति / दावा किस संबंध में किया गया है, ये भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है।
(vi) गत सर्वे या गत अभिलेख में क्या था तथा संबंधित पक्षों द्वारा दावा क्या किया गया है, यह भी उल्लेख आदेशफलक में नहीं है।

(vii) आदेशफलक में विवादित भूमि का ब्यौरा अक्षरों में वर्णित किया गया है। साथ ही पुराना खेसरा संख्या से नया विशेष सर्वे खेसरा क्या है, दर्ज नहीं है

(viii) निर्णय के आधारों में साक्ष्य का सारांश तथा निर्णय लेने का कारण दर्ज नहीं है।

अभिलेखों में पाई गई उक्त त्रुटियों से स्पष्ट है कि जिला स्तर से सुनवाई संबंधी अभिलेखों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है एवं इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 वितरण पश्चात् की गई सुनवाई एवं प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन के विरूद्ध प्राप्त दावों/आपत्तियों का निपटारा अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया से किया जाना है। साथ ही सुस्पष्ट आदेश होना चाहिए। इसलिए आदेश पारित के समय निम्न तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:–

(i) आदेशफलक के मुख्य पृष्ठ पर आपत्ति/दावा संख्या, राजस्व ग्राम का नाम, राजस्व थाना संख्या, शिविर संख्या एवं नाम, अंचल का नाम और जिला का नाम अंकित किया जाना चाहिए।

(ii) आपत्ति/दावा के प्रकार को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

(iii) आदेश पत्र पर प्रथम स्तंभ की आदेश की क्रम संख्या और तिथि दर्ज करने के लिए है, इसमें हमेशा आदेश के क्रम संख्या के साथ बट्टा में तिथि महीना वर्ष सहित लिखा जाना चाहिए।

(iv) आदेशफलक के प्रथम स्तंभ के आदेश की तिथि और पीठासीन पदाधिकारी (विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी) के हस्ताक्षर की तिथि में समानता होना चाहिए है।

(v) आदेशफलक के द्वितीय स्तंभ में सर्वप्रथम आपत्तिकर्त्ता/दावाकर्त्ता का नाम, पिता का नाम, पता सहित उल्लेख होना चाहिए और आपत्तिकर्त्ता द्वारा किए गए आपत्ति/दावा का संक्षिप्तसार भी अंकित होना चाहिए।

(vi) गत सर्वे या गत अभिलेख का उल्लेख तथा संक्षिप्त पक्षों का दावा भी दर्ज किया जाना चाहिए।

(vii) प्रस्तुत किए गए मौखिक या लिखित प्रमाणों का उल्लेख, मौखिक प्रमाण का आशय, गवाहों का नाम, पता सहित अंकित किया जाना चाहिए।

(viii) पीठासीन पदाधिकारी आदेशफलक में किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों का उल्लेख करेंगे और मौखिक प्रमाणों को भी स्वीकृत या अस्वीकृत करने का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

(ix) अमीन के जाँच प्रतिवेदन के संक्षिप्तसार का भी उल्लेख होना चाहिए।

(x) पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचने के आधार को भी अपने आदेश में सुस्पष्ट आदेश उल्लेख किया जाना चाहिए।

(xi) आदेशफलक के अंतिम पाराग्राफ में अंतिम आदेश में स्पष्ट होना चाहिए, जिसके नाम से खाता खोला जाना है, उन सभी का नाम, पिता का नाम, जाति, वास स्थान दर्ज किया जाना चाहिए।

यदि आपत्ति रकबा सुधार से संबंधित हो तो विशेष सर्वेक्षण खेसरा में किस तरफ से संशोधन किया जाना है, उसका आयाम (Dimensions) भी आदेशफलक में अंकित किया जाना आवश्यक है ताकि अनुपालनकर्त्ता उक्त आदेश का अनुपालन विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में कर सके।

(xii) पारित आदेश में विवादित भूमि शब्द एवं दर्ज किया गया है, जो नियमावली के अनुकूल नहीं है इसके स्थान पर आपत्ति का ब्यौरा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी उल्लेख आवश्यक है कि पुराना खाता संख्या, पुराना खेसरा संख्या, विशेष सर्वेक्षण खेसरा संख्या के साथ खेसरावार रकबा दर्ज किया जाना चाहिए।

(xiii) आदेशफलक के तृतीय स्तंभ में उसमें आदेश का अनुपालन दर्ज किया जाए। उदाहरण स्वरूप पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो या विशेष सर्वेक्षण अमीन को आदेशित किया गया है तब अनुपालनकर्त्ता का हस्ताक्षर आदेश पत्र के तृतीय स्तंभ होना आवश्यक है क्योंकि निरीक्षण पदाधिकारी एक झलक में इस बात का पता लगा सकेंगे कि दिए गए आदेश का अनुपालन कितनी तात्पर्य या शिथिलता से की गई है।

(xiv) पारित आदेश का अभिलेख के साथ–साथ अमीन जाँच प्रतिवेदन (नजरी नक्शा सहित), सुनवाई के क्रम में पक्षकार द्वारा दिये गए आवश्यक कागजात भी भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में जिला स्तर पर सभी कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (शिविर प्रभारी) की बैठक कर उन्हें विषयांकित तथ्यों से अवगत कराया जाए एवं जिला स्तर से भी सुनवाई संबंधी अभिलेखों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार निदेश एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तथा समय–समय पर सुनवाई संबंधी अभिलेखों का भौतिक एवं ऑनलाईन अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अभिलेखों की गुणवत्ता बनी रहे।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 8/7/22
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे–01/2022 1943 **पटना, दिनांकः** 11/8/2022

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बन्दोबस्त, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे–01/2022 1943 **पटना, दिनांकः** 11/8/2022

प्रतिलिपिः– सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे–01/2022 1943 **पटना, दिनांकः** 11/8/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 8/7/22